राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/गैप सा./2015–16/26362 दिनांक : 7.12.2017

–:स्वीकृति आदेश:–

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की दसवीं बैठक दिनांक 17.05.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 3737 दिनांक 31.05.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 10.4.4 के निर्णय एवं सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, डूंगरपुर के लागत अनुमान के क्रम में राशि रूपये 80.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान के साथ डूंगरपुर के गैप सागर झील, डूंगरपुर से गुजर रही विद्युत लाईन को शिफ्ट करवाने के कार्य के पेटे आयुक्त, नगर परिषद् डूंगरपुर को राशि रूपये 80.00 लाख (अक्षरे रूपये अस्सी लाख मात्र) निम्नांकित बजट मद से उनके निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

(राशि लाख में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या – 29 2217 – शहरी विकास 80 – सामान्य 800 – अन्य व्यय (08) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01] – स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से 93 – पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	80.00
कुल योग	80.00

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की गई है:–

01. निकाय राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. निकाय इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
03. निकाय आरटीआईडीएफ के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
04. निकाय कार्य पूर्ण करवाकर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171701229 दिनांक 24.11.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/गैप सा./2015–16/26363-76 दिनांक : 7.12.2017

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।

04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रूपये 80.00 लाख (अक्षरे रूपये अस्सी लाख मात्र) आयुक्त नगर परिषद् डुंगरपुर के निजी निक्षेप खाता में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, डूंगरपुर।
09. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
11. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर।
12. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक,